राज्य बाल संरक्षण समिति, छत्तीसगढ़

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)
दूरभाष क्रमांक 0771–2234192, 2234188 (Fax) email : dirwcd@nic.in

क्रमांक / 124 B / 9364 / मबावि / मि.वा. / 2024–25 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 24.10.24

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :– **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति अपलोड करने विषयक।**

विषयांतर्गत अवगत होना चाहेगें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(C) क्रमांक 427 of 2022 Bachpan Bachao Andolan Vs Union of India में पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 एवं "We the Women of India Vs Union of India & Ors. Writ Petition(s) (Civil) No(s) 1156/2021 तथा Writ Petition No. 427 of 2022 Bachpan Bachao Andolan Vs Union of India" में पारित आदेश दिनांक 30.07.2024 के अनुक्रम में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन के कियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति का विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है।

इस हेतु निर्धारित अर्हताओं / अनर्हताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों / संगठनों से दिनांक 25 / 11 / 2024 तक रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव / आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव / आवेदन का प्रारूप संलग्न है। इस रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव का प्रारूप वेबसाईट www.cgstate.gov.in एवं www.cgwcd.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

Prajapati. 22/10/24

(तुलिका प्रजापति)
संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
एवं सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन के कियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट किये जाने हेतु इच्छुक, अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति/संस्थाओं से दिनांक 25/11/2021 तक निर्धारित प्रपत्र में रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। उक्त इम्पैनलमेंट के लिये रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन प्रकिया का विवरण निम्नानुसार है :–

1. **सपोर्ट पर्सन हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अनुभव**
   - 1.1 व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में आवेदक के पास समाज कार्य (Social Work) या समाज शास्त्र (Sociology) या मनोविज्ञान (Psychology) या बाल विकास (Child Development) विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या बाल शिक्षा और विकास या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री हो।
   - 1.2 स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवेदन करने की स्थिति में संबधित संस्था बाल अधिकार या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष से कार्यरत हो।
2. **व्यक्तिगत आवेदकों हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण**
   - 2.1 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
   - 2.2 **निवास** :– अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ एवं उस जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जहां के लिए आवेदन किया जा रहा है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
   - 2.3 **अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है** :–
     - 2.3.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।
     - 2.3.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
3. **स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आवेदन करने पर आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार होंगे–**
   - 3.1 संस्था/संगठन चलाने के लिए आवश्यक सुसंगत अधिनियम (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम) के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र, उपनियम, संस्था का ज्ञापन।
   - 3.2 संस्था/संगठन चलाने के लिए अवधि की वैधता तिथि की जानकारी एवं शासी निकाय का संकल्प पत्र।
   - 3.3 नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र।

3.4 यदि संगठन अखिल भारतीय स्तर का है तो अन्य राज्यों में शाखाओं की जानकारी।

3.5 संस्था/संगठन की प्रबंधन समिति/शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची एवं अद्यतन जानकारी यथा– पता, संपर्क क्रमांक, ई–मेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता आदि।

3.6 वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति।

3.7 संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

3.8 अनुदान सहायता की निधि के स्रोतों की सूची।

3.9 संस्था/संगठन के वर्तमान बैंक खाता, ब्रांच कोर्ड एवं खाते का विवरण।

3.10 पिछले 03 वर्षों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, आय और व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, संगठन का तुलन–पत्रक की प्रति।

3.11 बाल अधिकार/बाल संरक्षण के क्षेत्र मे कार्य करने का अनुभव एवं बालकों के पुनर्वास के लिए किए गये कार्यों की जानकारी।

3.12 संस्था/संगठन के पदाधिकारियों एवं स्टॉफ का अद्यतन पुलिस सत्यापन की जानकारी।

4. व्यक्तिगत आवेदक के इम्पैनलमेंट हेतु चयन प्रकिया

4.1 जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अर्हता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

4.2 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन की कंडिका–3.2.3.iii में उल्लेखित चयन समिति द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर सपोर्ट पर्सन हेतु नामों के पैनल की अनुशंसा की जावेगी।

4.3 उपरोक्त चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का इम्पैनलमेंट किया जावेगा।

4.4 सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनलमेंट की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी। प्रति वर्ष कार्यमूल्यांकन किया जावेगा। 03 वर्ष से अधिक इम्पैनलमेंट अवधि के विस्तार हेतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यमूल्यांकन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन उपरांत अवधि में विस्तार किया जा सकेगा।

4.5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन की कंडिका–3.2.3.vii में सपोर्ट पर्सन की सेवाओं हेतु पारिश्रमिक (मासिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता) संबंधी प्रावधान है। तद्नुसार मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 (1948 का 11) अनुसार कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित राशि अनुसार कार्य के समानुपातिक आधार पर मानदेय एवं वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय देय होगा।

4.6 जिले में इम्पैनल किए जाने वाले सपोर्ट पर्सन की संख्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन की कंडिका–3.2.3.viii में किए गये प्रावधान अनुसार होगी।

4.7 सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन की कंडिका–3.2.3.ix अनुसार जेन्डर संबंधी बिन्दु का ध्यान रखा जावेगा।

4.8 सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन की कंडिका–3.2.3.x अनुसार इम्पैनलमेंट हेतु चयनित व्यक्ति का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। पुलिस सत्यापन के उपरांत ही इम्पैनलमेंट किया जावेगा।

4.9 सपोर्ट पर्सन का कार्यदायित्व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन की कंडिका–3.3 अनुसार होगा।

4.10 इम्पैनलमेंट के पश्चात भी यदि किसी आवेदक द्वारा निर्धारित अर्हताओं का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो संबंधित आवेदक का इम्पैनलमेंट निरस्त किया जाएगा।

4.11 किसी व्यक्ति के सपोर्ट पर्सन के रूप में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन की कंडिका–3.6 के प्रावधान अनुसार संबंधित व्यक्ति के सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनलमेंट समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।

4.12 सर्पोट पर्सन के रूप में इम्पैनल्ड व्यक्ति द्वारा किसी शासकीय पद/नौकरी हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा।

5. अशासकीय संस्था/संगठन के इम्पैनलमेंट हेतु चयन प्रकिया :–

5.1 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन की कंडिका–3.2.3.iii में उल्लेखित चयन समिति के समक्ष आवेदन करने वाली संस्था का प्रस्तुतीकरण कराया जा सकता है।

5.2 संस्थाओं की स्क्रीनिंग के लिए निम्नानुसार मापदंड रखे जा सकते है :–

5.2.1 कार्य अनुभव– 05 वर्ष तक के अनुभव के लिए 02 अंक, 05 वर्ष के उपरांत प्रति वर्ष के लिए 02 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक देय होंगे।

5.2.2 स्टाफ स्ट्रेंथ– वर्तमान उपलब्ध अमले की संख्या एवं सपोर्ट पर्सन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले अमले की संख्या के आधार पर– अधिकतम 10 अंक।

5.2.3 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021, पाक्सो अधिनियम 2012 के कियान्वयन के संबंध में कार्य अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक।

5.2.4 प्रस्तुतीकरण के दौरान मूल्यांकन कर अवधारणात्मक स्पष्टता के संबंध में अधिकतम 10 अंक।

- ब्लैक लिस्टेड व विधि विवादित संस्थाओं को इम्पैनल न किया जावे।
- अशासकीय संस्था/संगठन द्वारा सपोर्ट पर्सन के रूप में जिस व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करायी जावे उसमें यह सुनिश्चित किया जावे कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन में उल्लेखित समस्त अर्हताएं पूर्ण करता हो।

6. **अशासकीय संस्था/संगठन के इम्पैनलमेंट की स्थिति में संस्था हेतु कोई शुल्क/राशि देय नहीं होगी।** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन की कंडिका–3.2.3.vii में सपोर्ट पर्सन की सेवाओं हेतु पारिश्रमिक (मासिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता) संबंधी प्रावधान है। संस्था द्वारा सपोर्ट पर्सन के रूप में जिस व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी, उन्हें उक्त पारिश्रमिक वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार देय होगा।

7. **आवेदन के संबंध में निर्देश :–**

   7.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

   7.2 लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

   7.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।

   7.4 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज़ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।

   7.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

   7.6 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

8. चयन संबंधी विवाद की दशा में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

9. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट WWW.cgwcd.gov.in एवं WWW.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।

10. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई–मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जावे,ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।

टीप :–

1. दस्तावेज़ सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

Prajapati.

(तुलिका प्रजापति)
सचालक
संचा. महिला एवं बाल विकास विभाग
एवं सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....

.....

.....

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें

1. आवेदित पद का नाम :– .....

2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– .....

(अंग्रेजी में) :–.....

3. पिता/पति का नाम :– .....

4. स्थायी पता :– .....

.....

5. (पत्र व्यवहार का पता) :– .....

.....दूरभाष/मोबाईल.....

ईमेल आईडी :–.....

6. जन्मतिथि (अंकों में) :– .....

(शब्दों में) :–.....

7. दिनांक 01/01/2024 को आयु :–.....

8. लिंग पुरूष/महिला :– .....

9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति ..... वर्ग .....

10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? :–.....

11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्तता :– .....

12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि..... एवं जीवित बच्चों की संख्या :– .....

13. शैक्षणिक योग्यता :–(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

. अन्य योग्यता का विवरण :– .....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– .....

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		वेतन	पद छोड़ने का कारण
		कब से	कब तक		

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं ।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची –

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
3. 12वीं की अंकसूची
4. स्नातक की अंकसूची
5. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1.....

2.....

3.....

4.....

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम .....

घोषणा–पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :– .....

दिनांक :–.....

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–39 के अधीन सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट हेतु स्वयं सेवी संस्था/संगठन हेतु अभिरूचि का प्रस्ताव के लिए आवेदन पत्र प्रारूप

1. स्वयं सेवी संस्था/संगठन हेतु प्रस्ताव करने वाले आवेदक/संस्थान का विवरण :–

   1.1 संस्था का प्रकार .....

   1.2 संस्था/संगठन का नाम .....

   1.3 सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्थान/संगठन के पंजीकरण की तिथि और संख्या (संलग्न करें– पंजीकरण से तथा संबंधित दस्तावेज और उप–नियम, संस्था का ज्ञापन) .....
   .....

   1.4 संस्था/संगठन चलाने के लिए अवधि की वैधता तिथि .....

   1.5 आवेदक/संस्थान/संगठन का पूरा पता .....

   1.6 एसटीडी कोड/दूरभाष संख्या .....

   1.7 एसटीडी कोड/फैक्स संख्या .....

   1.8 ई–मेल पता .....

   1.9 क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर का है यदि हां तो अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं दें .....

   1.10 क्या इससे पूर्व संस्था/संगठन का पंजीकरण करने से मना किया गया है ? जी हां/नहीं

   1.11 यदि मना किया गया हो तो निम्नलिखित विवरण देवे :–

   (क) मनाही की तारीख .....

   (ख) किस विभाग द्वारा पंजीकरण करने के लिए मना किया गया है .....

2. स्टाफ व्यवस्था

   2.1 स्टाफ सूची का ब्यौरा .....

   2.2 स्टाफ की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव .....

   2.3 संगठन के साझेदार

   2.4 संगठन के प्रभारी का नाम

3. आवेदक की पृष्ठभूमि (संस्था/संगठन)

   3.1 पिछले 02 वर्षों में संगठन की मुख्य गतिविधियां/क्रियाकलाप

   (क) (वार्षिक रिपोर्ट की प्रगति संलग्न करें)

   3.2 प्रबंध समिति/शासकीय निकाय के सदस्यों की अध्यतन सूची संलग्न करें (वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति लगाएं)

3.3 परिसंपत्तियों की सूची / संगठन की अवसंरचना

3.4 क्या संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का विवरण (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)

3.5 पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का ब्यौरा (संबंधित दस्तावेज संलग्न)

3.6 अनुदान सहायता की निधि के अन्य स्त्रोतों की सूची (यदि कोई हो) स्कीम / परियोजना / उद्देश्य– राशि आदि के साथ पृथक रूप से।

3.7 अभिकरण के वर्तमान बैंक खाता का विवरण, ब्रांच कोड, खाता संख्या सहित

3.8 पिछले तीन वर्षों के खातों की प्रतिलिपि संलग्न करें :–

3.8.1 लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

3.8.2 आय और व्यय लेखा

3.8.3 प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

3.8.4 संगठन का तुलन–पत्रक

3.9 दर्पण पोर्टल आईडी क्रमांक

मैं घोषणा करता हूं कि संगठन से जुडे हुए किसी भी व्यक्ति को इससे पूर्व दण्डित नही किया गया है या वह एक किसी अनैतिक कार्य या किसी ऐसे बालक बाल दुर्व्यवहार या बाल श्रम नियोक्ता कार्य में संलग्न रहा है और संगठन को किसी भी समय केन्द्र या राज्य सरकार की सूची से बाहर नहीं किया गया है।

मैं, इस संबंध में शपथ लेता हूं कि मैं केन्द्र / राज्य सरकार के अधिनियम, नियमों दिशा–निर्देशों और अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूंगा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पदनाम : .....

पता : .....

जिला : .....

तिथि : .....

कार्यालय मुहर :

हस्ताक्षर

साक्षी नंबर 1.....

साक्षी नंबर 2.....